अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. लक्ष उर्फ दीशान्त पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार उम्र 16 वर्ष नाबालिक जरिये माता प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति रेखा पत्नि श्री जितेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी बांसखोह तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीशनारायण
2. श्रीमति सुशीला पत्नि स्व. श्री जगदीशनारायण
3. उषा
4. रेखा
5. रीना
   पुत्रिया स्व. जगदीशनारायण समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण बांसखोह, तह बस्सी जिला जयपुर व हाल निवासी फलोदी, जिला जोधपुर, राज.
6. तहसीलदार महोदय, बस्सी।
7. उपपंजीयक महोदय, बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवम् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकादमा नंबर 75/17 दिनांक 08.05.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट पाटन में पेश हुई। वादी स्वंय उपस्थित जिसकी पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत पाटन ने की है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 466, 1196, 1200, 1202, 1203, 1204, 1206/2582, 1374 कुल किता 8 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटन, पटवार हलका पाटन, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है। जिसके हिस्से 1/4 के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार पूर्व में वादी के दादा व प्रतिवादीगण 1 लगा. 5 के पिता व पति स्वर्गीय श्री जगदीशनारायण पुत्र कन्हैयालाल थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है एवं उक्त 1/4 हिस्से की विवादित भूमि ही भूमिवादग्रस्त है एवं शेष 3/4 हिस्से की भूमि को लेकर उक्त वाद पत्र में कोई विवाद नहीं है। वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 बाबत घोषणा डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद सं. 1 में वर्णित भूमिवादग्रस्त के हिस्सा 1/4 की भूमिवादग्रस्त में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्से की भूमिवादग्रस्त में से पैतृक होने के कारण 1/2 दर हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे व 1/2 दर हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जावे व भूमिवादग्रस्त के वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें। वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमिवादग्रस्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे भूमिवादग्रस्त का बेचान नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करें व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादीगण 2 लगा. 14 तरतीबी प्रतिवादीगण है, जिनके विरूद्व वादी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है व अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो धारा 209 आर. टी. एक्ट 1955 के तहत वादी को प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व दिलवाया जावें। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व पूर्व में एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd–2

प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित नहीं। वादी लक्ष उर्फ दिशान्त पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार उम्र 16 वर्ष नाबालिक जरिये माता प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति रेखा पत्नि श्री जितेन्द्र उपस्थित। जिसकी पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत पाटन ने की। वादी को वाद पत्र पर सुना गया एवं ग्राम के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से जानकारी की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वाद ग्रस्त भूमि खसरा नं. 466, 1196, 1200, 1202, 1203, 1204, 1206/2582, 1374 कुल किता 8 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटन, पटवार हलका पाटन, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 लागू होता है जिसके अनुसार वादी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही कानूनन हक व अधिकार बनते है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं. 466, 1196, 1200, 1202, 1203, 1204, 1206/2582, 1374 कुल किता 8 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटन, पटवार हलका पाटन, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर उक्त वाद ग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/4 की भूमि वाद ग्रस्त में से 1/40 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी लक्ष उर्फ दीशान्त पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार उम्र 16 वर्ष नाबालिक जरिये माता प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति रेखा पत्नि श्री जितेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी बांसखोह तहसील बस्सी, जिला जयपुर को घोषित किया जाता है व 1/40 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 को घोषित किया जाता हैं । तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि का उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

आज दिनांक 08.05.2018 को यह निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट पाटन में मजमे आम में सुनाया गया।

8.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

2. लक्ष उर्फ दीशान्त पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार उम्र 16 वर्ष नाबालिक जरिये माता प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति रेखा पत्नि श्री जितेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी बांसखोह तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

बनाम

8. जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीशनारायण
9. श्रीमति सुशीला पत्नि स्व. श्री जगदीशनारायण
10. उषा
11. रेखा
12. रीना

पुत्रिया स्व. जगदीशनारायण समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण बांसखोह, तह बस्सी जिला जयपुर व हाल निवासी फलोदी, जिला जोधपुर, राज.

13. तहसीलदार महोदय, बस्सी।
14. उपपंजीयक महोदय, बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवम् स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 08.05.18

मुकादमा नंबर 75 / 17

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं. 466, 1196, 1200, 1202, 1203, 1204, 1206 / 2582, 1374 कुल किता 8 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटन, पटवार हलका पाटन, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर उक्त वाद ग्रस्त भूमि के हिस्सा 1 / 4 की भूमि वाद ग्रस्त में से 1 / 40 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी लक्ष उर्फ दीशान्त पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार उम्र 16 वर्ष नाबालिक जरिये माता प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति रेखा पत्नि श्री जितेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी बांसखोह तहसील बस्सी, जिला जयपुर को घोषित किया जाता है व 1 / 40 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 को घोषित किया जाता हैं । तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि का उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। ....निर्जी................ मुबलिक......................बाबत...खर्चा.. इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.......... ....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहिर अदालत के आज तारीख 08.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.......................... 8.5.18

ओहदा..............................

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		

Contd--2

खर्चा			खर्चा		
गवाहन			गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत			बाबत		
इजराय			इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

बस्सी जिला जयपुर